



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08042026-271634
CG-DL-E-08042026-271634

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1714]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 8, 2026/चैत्र 18, 1948

No. 1714]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 8, 2026/CHAITRA 18, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2026

का.आ. 1782(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.642 (अ) तारीख 06 फरवरी 2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में रा.रा. संख्या 111 (नया रा.रा. 130) के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 53.300 तक के भूखंड (बिलासपुर-कटघोरा सेक्शन) का बिलासपुर एवं रतनपुर बाईपास सहित निर्माण (चौड़ाकरण / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "13.02.2026" को "हरिभूमि" और "द सेन्ट्रल क्रॉनिकल" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में रा.रा. संख्या 111 (नया रा.रा. 130) के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 53.300 तक के भूखंड (बिलासपुर-कटघोरा सेक्शन) का बिलासपुर एवं रतनपुर बाईपास सहित के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण ।

राज्य का नाम: छत्तीसगढ़			जिले का नाम: बिलासपुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: बिलासपुर					
गांव का नाम: सेंदरी					
1	335	निजी	पडत	0.04	इंदीबाई पिता जैताराम, राधाबाई पति जैताराम 335
2	336	निजी	पडत	0.024	अमरौतिन बाई, सुकवारा बाई पिता महाबली, कुंवारा बाई पति अमरदास, सोनिया मनहर पिता हितेन्द्र, उत्तरा कुमार पिता अमरदास 336
3	382/1	निजी	पडत	0.006	सुंदरलाल पिता साधू, लीलाबाई पिता सांवलदास, मणीशंकर, चन्द्रिका, अमरिका,

					अमृत, सहोद्री पिता संतराम, राजमती बेवा संतराम, दयालसिंह, संतोषी, सुलोचना, सरिता, बबीता, कविता पिता मालिकराम उर्फ साहेबलाल, द्वारिका प्रसाद, सीताराम, दशरथलाल, पंचबाई पिता तीजराम, कमल, कमलेशु, रविन्द्र, उत्तरा, कृष्णा, रजनी, अंजनी पिता प्रेमलाल, कमला बेवा प्रेमलाल, पूर्णिमा, सुप्रिया, निकिता, मुस्कान पिता मोतीलाल 382/1
गांव का नाम: गतौरी					
4	1310	निजी	पड़त	0.008	मनीष पाण्डेय पिता राममनोहर 1310
Total				0.078	

[फा. सं. NHAI/LA/14012/01/Notif.-C.G./Bilaspur/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2026

S.O. 1782(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 642(E), dated 06 February 2026 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH 111 (New NH-130) on the stretch of land from Km 0.000 to Km 53.300 (Bilaspur-Katghora Section) including Bilaspur and Ratanpur Bypass in the District of Bilaspur in the state of Chhattisgarh;

And whereas the substance of the said notification has been published in “**Haribhoomi**” and “**Central Chronicle**” both dated **13.02.2026**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH 111 (New NH-130) in the stretch of land from land from Km 0.000 to Km 53.300 (Bilaspur-Katghora Section) including Bilaspur and Ratanpur Bypass in the District of Bilaspur in the state of Chhattisgarh.

State: CHHATTISGARH			District: BILASPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Bilaspur					
Village: Sendari					
1	335	Private	Padat	0.04	Indi Bai D/o Jaitaram, Radha Bai W/o Jaitaram 335
2	336	Private	Padat	0.024	Amrautin Bai, Sukwara Bai S/o Mahabali, Kunwara Bai W/o Amardas, Soniya Manhar S/o Hitendra, Ultra Kumar S/o Amardas 336
3	382/1	Private	Padat	0.006	Sundarlal S/o Sadhu, Leela Bai D/o Sanwaldas, Madisankar, Chandrika, Amrika, Amrit, Sahodhri D/o Santram, Rajmati Bewa Santram, Dayal

					Singh, Santoshi, Sulochana, Sarita, Babita, Kavita D/o Malikram urf Saheblal, Dwarika Prasad, Sitaram, Dasrathlal, PUNCHBAI D/o Tijram, Kamal, Kamleshu, Ravindra, Uttra, Krishna, Rajani, Anjani D/o Premlal, Kamla Bewa Premlal, Purnima, Supriya, Nikita, Mushkan D/o Motilal 382/1
Village: Gatauri					
4	1310	Private	Padat	0.008	Manish Panday S/o Rammanohar 1310
Total				0.078	

[F. No. NHAI/LA/14012/01/Notif.-C.G./Bilaspur/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director